

आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या- पं0नि0 30-95/2021 - 3875

प्रेषक,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 13.9.2021

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 - निर्वाचन संचालन से संबंधित निदेश।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1058 दिनांक 26.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत निर्वाचन संचालन हेतु प्रासंगिक पत्र की कंडिका 13 में अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-9 तैयार करने के संबंध में स्पष्ट निदेश दिये गये हैं। कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्ण-क्रमानुसार नाम, पता सहित उल्लिखित करने के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 43 (2) उद्धृत हैं -

“उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्ण-क्रमानुसार नाम, पता सहित अन्तर्विष्ट होगा परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित रीति से दी जायेगी।”

उपरोक्त नियम के आलोक में आयोग का स्पष्ट निदेश है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि के अनुसार हिन्दी वर्णानुक्रम में नाम के **सिर्फ प्रथम अक्षर** का ही ध्यान रखा जाना है। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी का भी प्रथम अक्षर समान हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुये अन्तर्विष्ट होंगे।

जहाँ तक दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक होने से संबंधित है वहाँ स्पष्ट है कि जब नाम एक समान हो तो **अलग-अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए** उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जायेगा (परन्तु यहाँ भी **नाम के सिर्फ प्रथम अक्षर** का ही ध्यान रखा जायगा)।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-95/2021 - 3875

पटना, दिनांक - 13.5.2021

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।